...लय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...त्र संख्या :–154 / 2021 दायर दिनांक: 28.09.2021

...S NO:- 2021/284

...सीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. शंकर पुत्र भोलू जाति बैरवा निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. शोजी पुत्र भोलू जाति बैरवा निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. किशन पुत्र खाना जाति धाकडनिवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. बनवारीपुत्र खाना जाति धाकडनिवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. राजूपुत्र खाना जाति धाकडनिवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. राधेश्यामपुत्र खाना जाति धाकडनिवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 30.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मानपुरा पटवार मण्डल मानपुरा तहसील नैनवां में प्रार्थीगण के आधिपत्य की भूमि खाता संख्या नया 87 खसरा संख्या 63 रकबा 1.4400 है0 कृषि भूमि स्थित है। जो कि आपसी सहमति से हुये विभाजन में प्रार्थीगण के हिस्से में आई है। यह कि प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने, हल, कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र लाने का 15 फीट चौडा रास्ता ग्राम मानपुरा से रामपुरिया जाने वाली डामर सडक से बना हुआ है जो खसरा संख्या 64 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे स्थित है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 ने रास्ते को अपने खेत में मिलाकर तार जाली लगाकर मैन रोड पर गेट लगाकर रास्ता अवरूद्व कर दिया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 64 की दक्षिणी मेड की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 64 की दक्षिणी मेड से रकबा में से 43 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 86 वर्गगठ्ठा = 3746.16 वर्गफीट यानि लगभग 0.0324 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 3746.16 वर्गफीट अर्थात रकबा 0.0324 है0 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested

...र्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का ...किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट गंभीरा में पेश हुई । उपस्थित ... की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ...लदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार ...स्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम मानपुरा पटवार मण्डल मानपुरा तहसील नैनवां में प्रार्थीगण के आधिपत्य की भूमि खाता संख्या नया 87 खसरा संख्या 63 रकबा 1.44 है0 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 64 की दक्षिणी मेड से रकबा में से 43 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 86 वर्गगठ्ठा = 3746.16 वर्गफीट यानि लगभग 0.0324 है0 भूमि रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested